**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1443**
**दिनांक 28 जुलाई, 2026 / 06 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए**

**सीएफसीएफआरएमएस 2.0 प्लेटफॉर्म**

**†1443. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:**

**श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:**

**डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या मंत्रालय ने सभी अनुसूचित बैंकों में धोखाधड़ी वाले लेन-देन को वास्तविक समय पर रोकने हेतु "सीएफसीएफआरएमएस 2.0" प्लेटफॉर्म को कार्यशील कर दिया है;**

**(ख) क्या राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन (1930) ने चोरी की गई निधि को बैंकिंग प्रणाली से बाहर होने से पहले रोकने के संबंध में 90% से अधिक की सफलता दर हासिल कर ली है;**

**(ग) क्या मंत्रालय ने नागरिकों को अत्याधुनिक जालसाजी और डीप-फेक घोटालों के प्रति सचेत करने के लिए एआई-आधारित "साइबर-थ्रेट अर्ली वार्निंग सिस्टम" आरंभ किया है;**

**(घ) क्या सरकार ने डिजिटल अपराधों की जांच में तेजी लाने के लिए देश भर के प्रत्येक जिले में, विशेषकर महाराष्ट्र में, समर्पित साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं; और**

**(ङ) क्या मंत्रालय सीमा पार साइबर सिंडिकेट्स द्वारा अपतटीय खातों में भेजी गई निधि को वापस पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गेटवे के साथ सहयोग कर रहा है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री बंडी संजय कुमार)**

(क) से (ङ) : वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के तहत 'नागरिक

वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक, 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

परिचालन दक्षता को और मजबूत करने तथा साइबर अपराध की शिकायतों के निपटान में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने एनसीआरपी-सीएफसीएफआरएमएस के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी में एनसीआरपी के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर शिकायत पर कार्रवाई, बैंक के साथ समन्वय, शिकायत निवारण, लियन मार्किंग को हटाने और धोखाधड़ी से प्रभावित धन को सही दावेदारों को लौटाने करने के लिए एक मानकीकृत ढांचा निर्धारित किया गया है। पीड़ितों को धोखाधड़ी से प्रभावित धन को शीघ्र लौटाने के लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल और बैंक खातों को फ्रीज करने और धन की लियन मार्किंग से संबंधित शिकायतों पर समय से कार्रवाई करने के लिए शिकायत निवारण मॉड्यूल को अप्रैल, 2026 से कार्यात्मक बना दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना सहित अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे की कार्रवाई यानी आरोप पत्र दाखिल करने, गिरफ्तारी और शिकायतों के समाधान से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। दिनांक 30.06.2026 तक, बैंकों से प्राप्त 30.48 लाख से

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1443, दिनांक 28.07.2026**

अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 32.08 लाख लेयर 1 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 25,698 करोड़ रुपये के लेनदेन को रोका गया है।

(CERT-In) सीईआरटी-इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण हमलों और कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए निरंतर आधार पर नवीनतम साइबर खतरों/कमजोरियों के संबंध में अलर्ट और एडवायजरी जारी करता है।

आवश्यक शमन के लिए दुर्भावनापूर्ण डोमेन और फिशिंग गतिविधियों का पता लगाने के लिए सीईआरटी-इन द्वारा एआई संचालित स्थितिजन्य जागरूकता प्रणालियों को तैनात किया गया है।

सर्ट-इन सक्रिय खतरे के शमन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संगठनों के साथ तैयार अलर्ट साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर जोखिम आसूचना विनिमय प्लेटफॉर्म संचालित करता है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और साथ ही विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों तथा न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' स्कीम के तहत 132.93 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। महाराष्ट्र सहित 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं और 24,600 से अधिक एलईए कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच, फोरेंसिक आदि पर प्रशिक्षण दिया गया है ।

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली (दिनांक 18.02.2019 को) एवं असम (दिनांक 29.08.2025 को) में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय-डिजिटल जांच सहायता केंद्र' (जिसे पहले राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) {एनसीएफएल (आई)} के नाम से जाना जाता था) स्थापित की गई है। दिनांक 30.06.2026 तक, साइबर अपराधों से संबंधित 14,064 से अधिक मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय-डिजिटल जांच सहायता केंद्र, नई दिल्ली ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1443, दिनांक 28.07.2026**

वर्तमान में, साइबर अपराध के मामलों की जांच में सहायता के लिए देश भर में 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और महाराष्ट्र सहित 28 राज्य में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। राज्य एफएसएल में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निर्भया फंड से वित्तपोषित स्कीम के तहत 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य एफएसएल में साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

दिनांक 30.06.2026 तक, भारत में काम करने वाले 40 विदेशी बैंकों सहित कुल 1,586 संस्थाओं को सीएफसीएफआरएमएस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया गया है।

****